केंद्र ने चार श्रम संहिताएं अधिसूचित की, मौजूदा श्रम कानून बनेंगे सरल

न्यूनतम वेतन गारंटी लागू महिलाओं को बराबर वेतन

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए श्रम कानून लागू कर दिए। इनमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, नौकरी के एक वर्ष बाद ही ग्रैच्युटी का लाभ, महिला कामगारों के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं।

सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया है। इन सुधारों के तहत 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि-पाली में काम करने की सुविधा, 40 साल से अधिक उम्र के कामगारों के लिए सालाना मुफ्त चिकित्सा जांच, देशभर में ईएसआईसी कवरेज, एक ही रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम शामिल हैं।

विकसित भारत लक्ष्य: एक्स पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। ये साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्यबल कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया बड़ा कदम हैं। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति देंगे। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा, चारों संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है। अब ये देश का कानून हैं। ये चार श्रम संहिताएं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 हैं। ये श्रमिक कल्याण, सुरक्षा मानकों को मजबूत करती हैं।

बराबर अवसर P15

किस क्षेत्र में क्या सुधार किए गए

महिला कर्मचारी
बराबर वेतन, परिवार की परिभाषा बढ़ाना, सुरक्षा नियमों के साथ नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी

युवा
शोषण रोकने के लिए जरूरी न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और छुट्टी के दौरान वेतन

तय अवधि वाले कर्मचारी
स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले सभी फायदों का हक, जिसमें एक साल बाद ग्रेच्युटी भी शामिल है

29 मौजूदा श्रम कानूनों को एकीकृत किया

40 से अधिक उम्र वालों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी

गिग वर्कर
पहली बार कानूनी पहचान, एग्रीगेटर अपने वेलफेयर फंड में टर्नओवर का एक से दो फीसदी हिस्सा देंगे

आईटी कर्मचारी
हर महीने की सात तारीख तक सैलरी जरूर मिलना। शिकायत का समाधान, बराबर वेतन और महिलाओं के लिए नाइट-शिफ्ट के मौके

पहली बार गिग वर्कर, एग्रीगेटर्स परिभाषित किए

इस कानून में पहली बार गिग वर्करों (जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले) तथा एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है। पौधरोपण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, स्टंट करने वाले अब पूर्ण लाभों के हकदार होंगे।

एक वर्ष बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा

नई संहिता में कर्मचारियों को एक वर्ष की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। अब तक पांच वर्ष की नौकरी पूरी होने पर ही कर्मचारियों को यह फायदा मिल पाता था। ग्रेच्युटी किसी कंपनी में नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि होती है।

बदलावों से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे

श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम संहिता लागू होने से आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधारों को गति मिलेगी। यह बदलाव रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। इनका मकसद एक सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत उद्योग बनाना है। भारत के कई श्रम कानून आजादी से पहले और शुरुआती दौर में बनाए गए थे।

प्रमुख गारंटियां

- समय पर न्यूनतम वेतन
- दोगुना ओवरटाइम वेतन
- अनिवार्य नियुक्ति पत्र
- महिलाओं के लिए समान वेतन-अवसर
- 40 करोड़ को सामाजिक सुरक्षा
- तय-अवधि वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में ग्रेच्युटी का फायदा
- 40 से ज्यादा वाले श्रमिकों का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

सबसे बड़े सुधार : मोदी

ये सबसे बड़े सुधार श्रमिकों को मजबूत बनाएंगे। कारोबार सुगमता, रोजगार सृजन बढ़ावा बढ़ाएंगे और विकसित भारत की ओर यात्रा को तेज करेंगे।